

भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विलिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR.No. 26 / 2016-17

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 29.07.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त- संबंधित।

Sub : Customs Clearance Facilitation Committee—Minutes of the meeting held on 29.07.2016—Reg.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 13^{वीं} बैठक दिनांक 29.07.2016 को दोपहर 3:15 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 13th meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.15 PM on 29.07.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present for the meeting S/Shri/Smt:

1. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
2. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
3. Debashish Paul, Asst. Commissioner
4. Mohammed Rafic M., Asst. Commissioner
5. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
6. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
7. Baiju Daniel, Appraiser
8. Gomathy G., Superintendent of Customs
9. Usha V., Superintendent of Customs

सीमाशुल्क से विचार-विमर्श करने वाले विभागों/एजेंसियों/पणधारियों के प्रतिनिधि: सर्वश्री
Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs S/Shri:

1. Milu Mathew, Asst. Plant Protection Officer, Plant Quarantine
2. B. Venu, Quality Assurance Officer, Textile Committee
3. Jimmy George, Cochin Port Trust
4. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
5. Dr. Vrushi, AQCS, Cochin
6. J. Raghupathy, Central Drugs Standard Control Organisation
7. R. Sekhar, Container Corporation of India Pvt. Ltd.
8. Abdul Rasheed, Falcon CFS
9. Vahab M.A., Falcon CFS

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और 29.06.2016 को आयोजित क्षेत्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा।

The Chair welcomed the members to the meeting and read out the minutes of the RAC meeting held on 29.06.2016. Then fresh points were taken up for discussion.

चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे

FRESH POINTS TAKEN FOR DISCUSSION

बिंदु 1 : 100% पुनः निर्यात के लिए आयात किए गए कन्साइन्मेंट

Point 1: CONSIGNMENTS IMPORTED FOR 100% RE-EXPORT

एफएसएसएआई के अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि वे ऐसे कन्साइन्मेंटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं जिनमें आयातक द्वारा 100% पुनः निर्यात का दावा किया जाता है, आयातक को इस संबंध में सीमाशुल्क को एक घोषणापत्र देना अपेक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि एफएसएसएआई के पास आयात विनियमों में अनुसूची 6 के तहत उल्लिखित एक विशेष फोरमेट है और इन विनियमों के तहत आयातक को पुनः निर्यात किए जाने वाले मर्चों के संबंध में सीमाशुल्क को एक घोषणा पत्र देना है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या अनुसूची 6 के अंतर्गत आयातक एफएसएसएआई को घोषणापत्र दे सकता है और इसीको सीमाशुल्क स्वीकार कर सकता है।

The FSSAI official informed the chair that they are not able to identify consignments where 100 % re-export is claimed by importer, he is required to give an undertaking in this regard to customs. He also said that FSSAI has a particular format under schedule 6 mentioned in import regulations and as per these regulations importer should take an undertaking with Customs regarding items which will be re-exported. He asked if importer could make declaration to FSSAI under Schedule 6 and same can be accepted by Customs.

श्री भुवनचंद्रन ने स्पष्ट किया कि 100% पुनः निर्यात किए जाने वाले कन्साइन्मेंटों की पहचान स्कीम कोड के आधार पर की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनुसूची 6 को सीमाशुल्क स्वीकार नहीं कर सकता है और यह भी कहा कि 100% पुनः निर्यात किए जाने वाले कन्साइन्मेंटों के घरेलू बाजार में न पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए इन्हें स्कीम-वार निर्दिष्ट किया गया है और इनकी पहचान संबंधित स्कीम कोड से की जा सकती है।

Shri. Bhuvanachandran explained that the consignments meant for 100 % re-export, can be identified based on the scheme code. The chair said that customs cannot accept Schedule 6 and said that the 100 % re-export consignments are specified scheme-wise to ensure that it does not reach domestic market and the same can be identified by respective scheme code.

बिंदु 2 : एचएस कोड कपड़ा समिति

Point 2: HS CODE TEXTILE COMMITTEE

कपड़ा समिति के श्री बी. वेणु ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि जब सीमाशुल्क विभाग कपड़ों के नमूने परीक्षण के लिए भेजता है, तो उसकी प्रकृति और घटक आदि की सूचना मांगने के अलावा वे सीटीएच की पहचान का भी अनुरोध करते हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि पहले कपड़ा समिति सीटीएच प्रदान किया करती थी लेकिन अब से सीमाशुल्क द्वारा पूछे जाने पर भी प्रयोगशाला डिवीजन सीटीएच संबंधी पूछताछ का

जवाब नहीं देगी क्योंकि सीटीएच के श्रेणीकरण का दायित्व कपड़ा समिति का नहीं बल्कि सीमाशुल्क मूल्यनिरूपक का है।

Shri. B Venu of Textile committee informed the chair that when customs department refers textile samples for test, apart from requesting for nature, composition etc., they also request for CTH. In this regard he said that earlier Textile committee used to provide CTH but henceforth the Laboratory division will not address CTH queries even if posted by the Customs as the classification of CTH is the duty of appraiser of Customs and not of the Textile Committee.

श्री एस.वी. प्रकाश ने उत्तर दिया कि जब विभाग परीक्षण के लिए कपड़ों के नमूने भेजता है, तो विभाग, कपड़ा समिति से एचएस कोड सुझाने के लिए अनुरोध करेगा।

Shri. S. V. Prakash replied that when the department refers the textile samples for testing, the department will request the textile committee for suggesting the HS code.

बिंदु 3 : कोचिन में प्रयोगशाला स्थापित करना

Point 3: SETTING UP OF LAB IN COCHIN

अध्यक्ष महोदय ने कपड़ा समिति की प्रयोगशाला की स्थापना की स्थिति के बारे पूछा।

The chair enquired about the status of setting up of Lab of Textile Committee.

कपड़ा समिति के श्री बी. वेणु ने सूचित किया कि परीक्षण सुविधाओं के लिए कोचिन में लगाई जा रही प्रयोगशाला के अक्टूबर तक तैयार हो जाने की संभावना है और उन्होंने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

Shri. B. Venu of Textile committee informed that the lab for testing facilities being set up in Cochin is expected to be ready by October and that they have floated tenders for the same.

बिंदु 4 : एक्यू निकासी की अपेक्षा न रखने वाले मर्दों को सिंगल विंडो के तहत एक्यू को भेजा जाना

Point 4: ITEMS WHICH DO NOT REQUIRE AQ CLEARANCE ARE REFERRED TO AQ UNDER SINGLE WINDOW.

डॉ. वृषी, एक्यूसीएस, कोचिन ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि एक्यूसीएस निकासी की अपेक्षा न रखने वाले मर्दों को भी सिंगल विंडो के तहत एक्यू को भेजा जाता है।

Dr. Vrushi, AQCS, Cochin informed the chair that consignments which do not require AQCS clearance were referred to AQCS under single window.

अध्यक्ष महोदय ने ऐसी घटनाओं को निर्दिष्ट करने के लिए कहा ताकि एसीक्यूएस से निकासी की अपेक्षा न रखने वाले इन कन्साइन्मेंटों को उन्हें न भेजने के लिए सिस्टम में उचित परिवर्तन किए जाने हेतु महानिदेशक सिस्टम के साथ मुद्दा उठाया जा सके। ऐसे मामलों में जहां सीटीएस के आधार पर सिस्टम हवाला देता है, एक्यूसीएस के अधिकारी 'आउट ऑफ स्कोप' अनुरोध दे सकते हैं।

The chair asked to specify instances so that the same can be taken up with Directorate General of System to make suitable changes in system so that these consignments which do not require clearance from AQCS are not referred to them. In those cases where system makes reference based on CTH, officers of AQCS can give 'Out of Scope' request.

बिंदु 5: एफएसएसएआई की नई प्रयोगशाला सुविधा

Point 5: NEW LAB FACILITY OF FSSAI

एफएसएसआई अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उनके पास फिलहाल छह नई प्रयोगशालाएं हैं इसलिए प्रयोगशालाओं की कोई कमी नहीं है।

The FSSAI official informed the chair that they have six new labs at present and hence there is no shortage of labs.

अध्यक्ष महोदय और दूसरे सदस्यों ने इस खबर का स्वागत किया।

The chair and other members welcomed this news.

बिंदु 6 : अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना

Point 6: INDIRECT TAX DISPUTE RESOLUTION SCHEME

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि सरकार ने बजट 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 शुरू की है और यह भी कहा कि इस योजना में आयुक्त (अपील) के समक्ष जिसके मामले लंबित हैं, ऐसे निर्धारित शुल्क, ब्याज और प्रभारित जुर्माने के 25% के समान जुर्माने का भुगतान करने तथा घोषणा दायर करने का मौका मिलता है जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई समाप्त की जाएगी और कुछ मामलों को छोड़ कर अभियोजन से छुटकारा प्रदान किया जाएगा और उन्होंने कहा कि इस संबंध में बोर्ड ने 01 जून, 2016 को उचित अनुदेश जारी कर दिए हैं।

The chair informed the members that Government has come out with an Indirect Tax Dispute Resolution Scheme, 2016 in the Budget 2016-17 and said that this Scheme provides an opportunity to an assessee whose cases are pending before Commissioner (Appeals), to pay the duty, interest and penalty equivalent to 25% of penalty imposed and file a declaration, consequent to which the proceedings would be closed and immunity from prosecution granted except in certain cases and said that the Board has issued suitable instruction on 1st June, 2016 in this regard.

बिंदु 7 : सीबीईसी द्वारा चलाया गया करदाता अनुभव सर्वेक्षण

Point 7: TAX PAYER EXPERIENCE SURVEY CONDUCTED BY CBEC

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू किए गए सुधारों के ज़मीनी प्रभाव पर फीडबैक एकत्र करने के उद्देश्य से एफआईसीसीआई से करदाता अनुभव सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था। उन्होंने रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं को पढ़ा।

The chair informed the members that The Central. Board of Excise & Customs had requested FICCI to conduct a taxpayers' experience survey with the objective of garnering a feedback on impact that reforms undertaken during the last two years had on the ground. He read out the salient points in the report.

- क्या अप्रत्यक्ष कर नीतियां उदार और करदाता-अनुकूल हुई हैं के प्रश्न के उत्तर में 72% की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही।

In reply to the question as to whether the Indirect Tax policies have become liberal and taxpayer-friendly, 72% responded positively.

- प्रतिक्रिया देने वालों में 45% ने रिपोर्ट दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों (आयुक्त और इससे ऊपर) के

रवैये में परिवर्तन हुआ है।

45% of the respondents reported attitudinal change in senior functionaries (Commissioner level and above).

- 51% ने निरीक्षक और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के रवैये में सुधार की पुष्टि की। प्रतिक्रिया देने वालों में से 75% ने आईटी सक्षम सेवाओं के मानकों पर संतुष्टि जताई।

51% acknowledged an improvement in attitude at the level of Inspector and above.
75% of the respondents expressed satisfaction with the standards of IT enabled services.

- प्रतिक्रिया देने वालों में से 49% ने धनवापसी की प्रोसेसिंग में सकारात्मक सुधार रिपोर्ट किया।

49% of the respondents reported a positive change in processing of refunds.

- प्रतिक्रिया देने वालों में से 89% ने एसवीबी संबंधित प्रक्रिया में सुधार का उल्लेख किया।

89% of the respondents indicated improvement in SVB related procedure.

- प्रतिक्रिया देने वालों में से 85% ने बजट में मालगोदाम प्रावधानों में किए गए वैधानिक परिवर्तनों की प्रशंसा की।

85% of the respondents approved the legislative changes made in warehousing provisions in the Budget.

- 92% ने सीमाशुल्क एवं उत्पादशुल्क व्यवसाय प्रक्रिया के सरलीकरण में सीबीईसी की सफलता को स्वीकार किया।

92% acknowledged CBEC's success in simplification of Customs and Central Excise business processes.

बिंदु 9 : बुधवार के दिन को करदाता दिवस के रूप में नामित करना

Point 9: DESIGNATION OF WEDNESDAYS AS TAXPAYERS DAY

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि बोर्ड ने बुधवार को करदाता दिवस के रूप में नामित किया है, जिससे करदाता अपने मामलों/शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों के अध्यक्षों से पहले से मिलने का समय निश्चित किए बिना मिल सकते हैं।

The chair informed the members that the Board has designated Wednesdays as taxpayer's day, whereby taxpayers can meet the heads of all the field officers of the department without any prior appointment in order to resolve their issues/ grievances expeditiously.

चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in/](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in / ccucochin@gmail.com.

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated: 05.08.2016

//अनुप्रमाणित ATTESTED//

(वी. उषा V. USHA)

सीमाशुल्क अधीक्षक Supdt. of Customs(Prev.)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members